an>

Title: Need to take steps to rehabilitate the bonded and the child labour in the country.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम सबको आपने जो किस्मत ने अवसर नहीं दिया, ऐसा अवसर देने की कृपा की है।

महोदय, मैं पिछले दस दिन से इस महत्वपूर्ण विÂषय को सदन के संज्ञान में लाने के लिए प्रयास कर रहा था। यह विÂषय बंधुआ और बाल मजदूरों की मुक्ति और उनके पुनर्वास के सम्बन्ध में है। एक आस्ट्रेलियन एनजीओ ने अभी सर्वे किया और यह बताया है कि हिन्दुस्तान में अभी भी परम्परागत रूप से सामाजिक और आर्थिक कारणों से अनेक बत्वे और अनेक लोग बंधुआ मजदूर के रूप में काम करते हैं। कालीन के उद्योग में, ईट-भट्टे के उद्योग में, कृÂिष के क्षेत्र में, आर्गनाइज्ड प्रास्टिट्यूशन और फोर्स्ड प्रास्टिट्यूशन के क्षेत्र में या आर्गनाइज्ड बैंगरी के क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे लोग पीड़ित और शोÂिषत हैं।

महोदय, देश की सरकार ने वÂर्ष 1975 में पहली बार बीस सूत्रीय कार्यक्रम में इनकी मुक्ति और पुनर्वास को हाथ में लिया था, इसको प्राथमिकता देकर काम शुरू किया था। उसके बाद में ऐसे पुनर्वास के लिए चार हजार रूपए का प्रावधान किया गया था, जिसको भारत सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों मिलकर 50:50 कान्ट्रिब्यूट करती थीं। चार हजार के बाद में साढ़े छह हजार हुआ, दस हजार हुआ, बीस हजार हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत की सरकार को कि वर्तमान सरकार ने इस पैकेज को बढ़ाकर एक लाख रूपए जरनल के लिए, गर्ल्स चाइल्ड के लिए और जो स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए दो लाख रूपए और दिव्यांगों के लिए तीन लाख रूपए पुनर्वास का प्रावधान किया है। इस प्रावधान के कारण बाद में एक समस्या जनित हुई है, वह यह है कि भारत सरकार के इस नए प्रावधान के बाद में पुनर्वास का पैसा उसको उस समय मिलता है, जब पहली बात तो यह कि पुनर्वास के लिए सरकार ने जो, जिसका पुनर्वास किया गया है, उसका क्या पुनर्वास हुआ और किस तरह से हुआ है, इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। दूसरा, जो पर्पेट्रेटर है, उसको सजा दे दी गई है, इसका प्रावधान हो जाए और कितनी सजा दी गई है, यह तय हो जाए, इसके बाद ही भारत सरकार पैसा रिलीज करती है। भारत सरकार ने उसके लिए एक नियम बनाया है कि पाँच लाख रूपए का कॉर्पस फंड हर कलेक्टर के पास में बनेगा। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह इन नियमों में रिलैक्सेशन करे और साथ ही देश भर के कलेक्टर्स से इस बात की रिपोर्ट मँगाई जाए कि किसने वह कॉर्पस फंड बनाया है ताकि उनका पुनर्वास सुनिश्चित हो सके।

माननीय सभापति :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्री कुँवर पुÂष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री सुधीर गुप्ता और

श्री पी.पी. चौधरी को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।